पूर्व -लोकमंथन

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

वाचिक परंपरा में प्रचलित हर्बल उपचार प्रणालियाँ: संरक्षण, संवर्धन और कार्य योजना

प्रज्ञा प्रवाह
और
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

द्वारा आयोजित

एंथ्रोपोस इंडिया फाउंडेशन
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
और दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, भोपाल

के सहयोग के साथ

21-22 सितंबर, 2024

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,भोपाल
मध्य प्रदेश

ANTHROPOS INDIA FOUNDATION

प्रज्ञा प्रवाह Prajna Pravah

संकल्पना

विश्व के लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य रक्षण के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाना सामान्य बात है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के आगमन से पहले से ही आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य कई प्रकार की स्वदेशी उपचार प्रणालियां प्रचलित हैं। आधुनिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिन चिकित्सा प्रणालियों में पाठ्यपुस्तकें, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, शासकीय स्तर से वैधानिक वैधता और प्रशिक्षण की व्यवस्था है तथा उन्हें कोई विशिष्ट नाम दिया गया है, उन्हें संहिताबद्ध चिकित्सा प्रणालियाँ (Codified Systems) कहा गया है। इन संहिताओं को फार्माकोपिया कहा जाता है। आज की स्थिति में भारत में एलॉपथी, आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की संहिताएँ उपलब्ध हैं। इसके विपरीत,अनेक ऐसी चिकित्सा प्रणालियां है, जिनमें कोई पाठ्यपुस्तक अथवा व्यावसायिक डिग्री नहीं है,ना ही कोई फार्माकोपिया तैयार किए गए हैं। ऐसी पद्धतियों को असंहिताबद्ध प्रणालियाँ कहा गया है (Non-Codified Systems)। संहिताबद्ध चिकित्सा प्रणाली शब्द का उपयोग किए जाने से एक प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा होता है जो यह इंगित करता प्रतीत होता है कि असंहिताबद्ध प्रणालियां पश्चिमी चिकित्सा पद्धति से कम परिष्कृत है अथवा कम वैधता रखती हैं। समाज में परंपरा से उपलब्ध विविध और जटिल प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों को मात्र असंहिताबद्ध प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करना उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को अति सरलीकृत कर कमतर कर बताना है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित दवाइयों के उद्योगों और चिकित्सा पद्धति के व्यवसायीकरण के बावजूद यह आज भी यह असंहिताबद्ध उपचार प्रणालियां शताब्दियों से जीवित हैं और आज भी दुनिया भर के समुदायों के लिए अपने सांस्कृतिक महत्व और व्यावहारिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।

असंहिताबद्ध चिकित्सा पद्धतियाँ जिन्हें पारंपरिक, स्वदेशी या योग अथवा स्पर्श चिकित्सा आदि विभिन्न नाम से जाना जाता है, इनमें स्वास्थ्य प्रथाओं, पारंपरिक ज्ञान और सदियों के भरोसे का एक लंबा इतिहास सम्मिलित है, जो विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक परम्पराओं में अंतर्निहित है। इन पद्धतियों में चिकित्सा करने चिकित्सकों को विभिन्न अंचलों में सामान्यतः वैद्य, बड़वा,ओझा अथवा पुजारी इत्यादि नाम से जाना जाता है. पाठ्यपुस्तकों और व्यावसायिक महाविद्यालयों के परे जाकर इन प्रणालियों में संचित ज्ञान सदियों से वाचिक परम्परा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। यह ज्ञान किसी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से महाविद्यालयों में प्रवेश के रूप में नहीं अपितु जिसे यह ज्ञान दिया जा रहा है उसकी योग्यता, क्षमता तथा पात्रता के आधार पर हस्तांतरित किया जाता है। इन प्राकृतिक चिकित्सकों के पास मनुष्य की चिकित्सा का समग्र दृष्टिकोण रहता है जो केवल किसी रोग के मात्र शारीरिक लक्षणों पर आधारित न होकर मरीज़ की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं सहित पूरे व्यक्ति पर केंद्रित है। इस प्रकार की उपचार पद्धतियां विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने में गहराई में अंतर्निहित है।

हमारे बारे में

LOKMANTHAN • लोकमंथन

'राष्ट्र प्रथम' विचारकों और अभ्यासियों की राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में लोकमंथन ने वर्ष 2016 और 2018 में सार्वजनिक विमर्श में व्यापक प्रभाव डाला। भारत भावनाओं और संवेदनाओं का एक जटिल मिश्रण है। कोई भी एक वस्तु इस सुंदर राष्ट्र का वर्णन नहीं कर सकती। यह काफी विविधतापूर्ण, बहुभाषी और बहु-सांस्कृतिक है, फिर भी साझा परंपराओं, संस्कृति और मूल्यों की प्राचीन बंधनो से जुड़ा हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों और जीवनशैली के लोगों के बीच बढ़ी हुई और निरंतर पारस्परिक बातचीत के माध्यम से ऐसे बंधनों को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि यह पारस्परिकता को प्रोत्साहित करे और भारत जैसे सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट देश में विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच एकता की समृद्ध मूल्य प्रणाली को सुरक्षित करे। देश-कल-स्थिति पर केंद्रित लोकमंथन का पहला संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था। लोकमंथन 2018, थीम (भारत बोध: जन गण मन; भारत का विचार: राष्ट्र-समाज-मन) के साथ दूसरा संस्करण मुख्य रूप से कला से लेकर पर्यावरण तक के विषयों पर बहुस्तरीय चर्चाओं के लिए एक वैचारिक मंच प्रदान करने के लिए था। 22-24 सितंबर को असम के गुवाहाटी में आयोजित लोकमंथन 2022 का तीसरा संस्करण 'लोकपरंपरा' थीम पर केंद्रित था।

लोकमंथन 2024, जिसका शीर्षक "लोकअवलोकन: विचार, अनुप्रयोग, प्रणाली" है, विचारकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनने की आकांक्षा रखता है। इसका उद्देश्य लोक के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित, प्रस्तुत और विश्लेषित करके लोगों की समग्र छवि प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम 22, 23 और 24 नवंबर, 2024 को भाग्यनगर/हैदराबाद में शिल्पकला वेदिका में आयोजित किया जाएगा।

यह प्राकृतिक चिकित्सक किसी शासकीय अथवा वैज्ञानिक संस्थान की मान्यता के बजाय उनके स्वयं के अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकन पर भरोसा करते हैं,जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें हस्तांतरित हुए हैं । चिकित्सा को लेकर उनके पास विविध प्रथाएँ हैं जिनमें वाचिक ज्ञान पर आधारित चिकित्सा, आध्यात्मिक उपचार, आहार में परिवर्तन और विभिन्न शारीरिक परिवर्तन जो कि योग अथवा प्राणायाम के आधार पर भी हो सकते हैं, सम्मिलित हैं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया के विभिन्न देशों की आज भी 80 प्रतिशत आबादी ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सकों के पास उपचार के लिए जाती हैं, जिनकी उपचार पद्धति किन्हीं सरकारों अथवा स्वास्थ्य संगठनों से मान्यता प्राप्त नहीं होकर संहिताबद्ध नहीं है। इन कारणों से ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं होता है तथा उनका उपयोग करने वाले चिकित्सक कहीं न कहीं समाज की पृष्ठभूमि में रह कर ही काम करते है । इन चिकित्सकों के लंबे समय के अनुभव के आधार पर की जा रही चिकित्सा और उससे होने वाले लाभ को अक्सर आधुनिक विज्ञान द्वारा यह कहकर,न केवल ख़ारिज कर दिया जाता है, बल्कि उन्हें संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है कि इन पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हुआ है। यद्यपि यह देखा गया है कि ऐसे चिकित्सकों के पास नियमित रूप से मरीज जाते हैं तथा उन्हें लाभ भी मिलता है। शताब्दियों से इन चिकित्सकों के पास जा रहे मरीज़ों और उन्हें मिलने वाले लाभ में स्वतः ही इन चिकित्सा प्रणालियों की प्रभावशीलता के प्रमाण निहित हैं।

इस प्रकार की असंहिताबद्ध उपचार प्रणालियां विश्व के विभिन्न समाजों की वे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण परम्पराएँ है जो लोक स्वास्थ्य और जन कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देती आयी है. यद्यपि ऐसी चिकित्सा प्रणालियों को वैज्ञानिक सत्यापन और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों में समावेशन जैसी चुनौतियों का निरंतर सामना करना पड़ता है,फिर भी पारंपरिक और व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव, सुदूर क्षेत्रों तक इसकी पहुँच इसकी ताक़त है और इस दृष्टि से विभिन्न सरकारों द्वारा एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करने की दृष्टि से इनकी उपयोगिता को सुस्थापित करने की दृष्टि से मान्यता हेतु इनका अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है।

वर्तमान राष्ट्रीय सम्मलेन में इस समृद्ध वाचिक परंपरा के अंतर्गत केवल वनस्पति आधारित औषधियों अथवा जड़ी बूटियों पर आधारित असंहिताबद्ध पद्धतियों का उपयोग करने वाली चिकित्सा पद्धतियों को सम्मिलित किया जा रहा है. जड़ी बूटियों पर आधारित औषधियों का उपयोग करने वाले ऐसे चिकित्सक पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं के संरक्षक है और वे अपने समाज की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का मूल्यवान कार्य कर रहे हैं। अधिकांशतः ऐसे चिकित्सकों का जनजातीय तथा ग्रामीण समाज में एक सम्मानजनक स्थान होता है तथा चिकित्सक की दृष्टि से सहायता एवं परामर्श देने की अपनी भूमिका में वे समाज में परस्पर विश्वास और एक जुटता को भी बढ़ावा देते की भूमिका में रहते हैं ।

यह चिकित्सक समाज में विवादों को सुलझाने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में भी मदद करते हैं तथा उनके प्रभाव के क्षेत्र में अन्य पारंपरिक चिकित्सकों तथा समुदायों के बीच भी एक नेटवर्किंग भी करते हैं जिससे एक ओर लोक स्वास्थ सुनिश्चित होता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक बंधन भी सुदृढ़ होते हैं । उन क्षेत्रों में, विशेषकर जहाँ आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ सीमित हैं अथवा उपलब्ध ही नहीं है, ऐसे पारंपरिक चिकित्सक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं । पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों पर आधारित औषधियां, दवाई कम्पनियों द्वारा बनायी तथा बेची जा रही औषधियों की तुलना में कहीं बहुत अधिक सस्ती होती है,जिससे कि कम आय वाली आबादियों को भी इस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाती है ।

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों सांस्कृतिक रूप से भी प्रासंगिक और पूर्व से स्वीकृत है, जिस कारण से समुदाय में पूर्व स्वीकृति के कारण इनकी प्रभावशीलता अधिक रहती हैं । यह विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विरासत भी है तथा उसके सामूहिक ज्ञान और प्रथाओं का प्रतिनिधित्व भी करती है । हमारे सामने जहाँ एक ओर यह ख़तरा है कि ऐसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन से जो विशेषताएं सामने आती हैं, उनका बहुराष्ट्रीय कंपनियों व्यवसायीकरण किया जा सकता है,वहीं दूसरी ओर हमारे समक्ष यह चुनौती भी है कि ऐसे पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान और अनुभव की रक्षा तथा संरक्षण भी हो। इस विषय पर भी चर्चा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है कि क्या इस प्रकार की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के किसी प्रकार के व्यावसायीकरण की आवश्यकता है क्योंकि वे पूर्व से ही मानवता की सेवा की दृष्टि से ही राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तथा कहीं कहीं पर चिकित्सा करने की उनकी शक्ति आध्यात्म आधारित भी है । ऐसे पारंपरिक चिकित्सकों में से अनेक का मानना है कि इस चिकित्सा के व्यावसायीकरण से वे उपचार करने की अपनी नैसर्गिक ताक़त खो बैठेंगे।

शताब्दियों से उपलब्ध असंहिताबद्ध प्रणालियों पर कुछ वैज्ञानिक समय समय पर प्रश्न भी उठाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि इन असंहिताबद्ध प्रणालियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एकीकृत करने के प्रयास इन दोनों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की पृष्ठभूमि में निहित दर्शन और कार्यप्रणाली में अंतर के कारण टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं । यह भी सही है कि ऐसे पारंपरिक चिकित्सकों के ज्ञान का अभिलेखीकरण करने से व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा उस ज्ञान का उपयोग, बिना इन प्राकृतिक चिकित्सकों को उसका श्रेय दिए हुए अथवा यदि कोई लाभ अर्जन होता है तो उस लाभ का लाभ के हिस्से से वंचित करते हुए किया जाना भी एक प्रकार का शोषण ही होगा। एक अलग चुनौती पारंपरिक चिकित्सकों की बौद्धिक संपदा की रक्षा करना भी है । एक बार यदि इस क्षेत्र में व्यवसायिक कंपनियां आ जाती है तो वे पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों का पेटेंट करा सकती है जैसा कि हल्दी और बासमती चावल के प्रकरण में हुआ । वे सरकारी एजेंसियों को प्रभावित कर जनजातीय और ग्रामीण समुदायों को पारंपरिक उपचार प्रणालियों का उपयोग करने से रोक भी सकती है ।

प्री-लोकमंथन चिकित्सकों के शोषण को कम करने के लिए कुछ रणनीतियों पर चर्चा और बहस करेगा। प्रश्न जैसे कि क्या निष्पक्ष व्यापार मानक स्थापित करना एक अच्छा विचार है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर्बल चिकित्सकों को उनके योगदान और संसाधनों के लिए समान मुआवजा मिले। क्या स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए इसका व्यावसायीकरण किया जाए या इसे अछूता छोड़ दिया जाए, क्या व्यावसायीकरण प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि वे अपने ज्ञान पर नियंत्रण बनाए रखें? हर्बल चिकित्सकों और उनके समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचा कैसे विकसित किया जाए? क्या शोषण को रोकने और आपसी सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक चिकित्सकों के साथ जुड़ते समय कंपनियों को नैतिक मानकों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? कंपनियों और स्रोत समुदायों के बीच लाभ और लाभों का उचित वितरण सुनिश्चित करने वाले समझौतों को लागू करें या नहीं? या चिकित्सकों को कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण से बचाएं।

पारंपरिक हर्बल चिकित्सक अपने समुदायों के लिए अमूल्य हैं, जो व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान देते हैं। उनकी भूमिका केवल उपचार से परे शिक्षा, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण तक फैली हुई है, जो उन्हें अपने समुदायों की भलाई और लचीलेपन का अभिन्न अंग बनाती है। पारंपरिक हर्बल चिकित्सकों की भूमिका को पहचानने और समर्थन करने से स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों में वृद्धि हो सकती है, सांस्कृतिक निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है और सामुदायिक बंधन मजबूत हो सकते हैं।

निम्नलिखित उपविषयों में से किसी पर अनुभवजन्य अनुसंधान और अकादमिक पोस्टर पर आधारित पत्रों के सार आमंत्रित किए जाते हैं:

- भारतीय संदर्भ में गैर-संहिताबद्ध हर्बल उपचार का महत्व
- चिकित्सकों के समक्ष चुनौतियां तथा मान्यता एवं राज्य समर्थन का अभाव
- जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण बनाम हर्बल उपचार
- हर्बल उपचारक: प्रचार,पक्षपोषण और स्वास्थ्य संचार
- गैर-संहिताबद्ध हर्बल चिकित्सकों को बढ़ावा देना: सत्यापन, प्रमाणन, नीति अनुशंसा।
- देश भर में गैर-संहिताबद्ध हर्बल चिकित्सकों को समर्थन देने के लिए कार्य योजना और मॉडल।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

सार प्रस्तुत करने की तिथि	:	25 अगस्त, 2024 (सहकर्मी-समीक्षित और चयनित सारांशों की जानकारी दी जाएगी)
चयनित सारांशों की सूचना	:	30 अगस्त, 2024
पूर्ण शोधपत्र प्रस्तुत करने की तिथि	:	20 सितंबर, 2024 (दोहरी समीक्षा से चयनित शोधपत्रों को प्रस्तुति एवं प्रकाशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा)।
सम्मेलन की तिथियाँ	:	21- 22 सितंबर 2024

सार प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश

1. सार 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए और सम्मेलन के व्यापक विषय के अनुरूप होना चाहिए। यह सम्मेलन के एक या एक से अधिक उप-विषयों पर आधारित हो सकता है।

2. इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित शोध उद्देश्य/परिकल्पना, शोध पद्धति और साथ ही शोध के प्रमुख निष्कर्ष शामिल होने चाहिए।

3. यदि पहले किए गए अध्ययन/शोध का कोई संदर्भ दिया गया है, तो उसका उल्लेख फ़ुटनोट में किया जाना चाहिए।

4. सार में कम से कम 5 कीवर्ड होने चाहिए।

5. सार लेखक/लेखकों का मूल कार्य होना चाहिए।

6. सार प्रस्तुत करने का प्रारूप इस प्रकार है:

लेखक का नाम: _____
लेखक की संबद्धता (एक पंक्ति में): _____
लेखक का पद (छात्र/शोधकर्ता/संकाय): _____
शोध/प्रकाशन का क्षेत्र: _____
कीवर्ड (पांच): _____
पूर्व प्रकाशनों की संख्या: _____
लेखक(ओं) का संक्षिप्त बायोडाटा (100 शब्द): _____
सार (500 शब्दों से अधिक नहीं): _____

पूर्ण शोध पत्र प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश

·पूरा शोध पत्र 4000-5000 शब्दों (संदर्भों को छोड़कर) के बीच होना चाहिए।

· शोध पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं।

· शोध पत्र लेखक की मौलिक रचना होनी चाहिए और साहित्यिक चोरी की जाँच की जाएगी।

·शोध पत्र की दोहरी समीक्षा की जाएगी और केवल चयनित पेपर को ही भोपाल में होने वाले सम्मेलन में प्रस्तुत करने (मौखिक और पोस्टर) के लिए आमंत्रित किया जाएगा और संपादित संस्करण में प्रकाशित किया जाएगा।

·शोध पत्र में अकादमिक लेखन शैली के अनुरूप स्पष्ट रूप से लिखे गए अनुभाग होने चाहिए, जैसे कि परिचय, साहित्य समीक्षा, शोध उद्देश्य, शोध प्रश्न, शोध पद्धति, अवलोकन, विश्लेषण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची।

·शोध पत्र में एंडनोट्स के बजाय पाठ में दिए गए संदर्भों के लिए फुटनोट होने चाहिए।

·शोध पत्र में पहले किए गए अध्ययन/शोध के लिए दिए गए किसी भी संदर्भ को APA प्रारूप में उचित रूप से उद्धृत किया जाना चाहिए।

(एपीए प्रारूप - लेखक का अंतिम नाम, पहला नाम का पहला अक्षर। (वर्ष)। लेख का शीर्षक। पत्रिका/जर्नल/समाचार पत्र का शीर्षक, खंड संख्या (अंक संख्या), पृष्ठ संख्या।)

पोस्टर प्रस्तुत करने के दिशानिर्देश

- पोस्टर का आकार 36" x 48" होना चाहिए।
- सामग्री में शामिल होना चाहिए - शीर्षक, लेखक और संबद्धता। परिचय, विधियाँ, परिणाम, चर्चा और संदर्भ।
- स्वरूपण इस प्रकार होना चाहिए - शीर्षक 85 पॉइंट फ़ॉन्ट में, लेखकों के नाम 56 पॉइंट में, उप-शीर्षक 36 पॉइंट में, मुख्य पाठ 24 पॉइंट में और कैप्शन 18 पॉइंट में प्रदर्शित होने चाहिए।
- स्पष्ट लेबल के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले दृश्य।
- सार शीर्षक, लेखक और सह-लेखक के नाम और संस्थान (संस्थानों) को शामिल करना सुनिश्चित करें जहाँ शोध चल रहा है।
- पोस्टर बोर्ड के ऊपरी दाएँ कोने में अपना ईमेल पता, फ़ोन और फ़ैक्स नंबर डालें।
- लक्ष्य: 20% पाठ, 40% ग्राफ़िक्स, 40% स्थान।
- पोस्टर पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, जो सम्मेलन के विषय को दर्शाते हों

पंजीकरण के विवरण

पंजीकरण शुल्क

शोधार्थी, शिक्षाविद और शिक्षक : ₹ 2000/-

*पंजीकरण शुल्क केवल सार-संक्षेप के चयन के बाद ही भुगतान किया जाएगा

चयनित शोधपत्र संपादकीय टीम से अनुमोदन के बाद समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे।

सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार के लिए तीन पूर्ण शोधपत्र और पोस्टर की पहचान की जाएगी।

पंजीकरण लिंक

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_PIBz-aGQUVfV5d1GHXkzyMwfZcPQdt3baAmnaGiARr5QGw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

आयोजन टीम

संरक्षक

प्रो. (डॉ.) अमिताभ पांडे	निदेशक, आईजीआरएमएस, भोपाल
प्रो. (डॉ.) के. जी. सुरेश	कुलपति, एमसीयू, भोपाल
श्री विनय दीक्षित	प्रज्ञा प्रवाह
श्री दीपक शर्मा	प्रज्ञा प्रवाह

संयोजक

डॉ. सुनीता रेड्डी

एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू, नई दिल्ली• अध्यक्ष, एआईएफ

सह-संयोजक

डा. अंकिता चौहान • सुश्री अनुकृति बाजपेई • श्री अभिषेक शर्मा

आयोजन समिति के सदस्य

प्रो. श्री प्रकाश सिंह
डॉ. अमिताभ श्रीवास्तव
श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी
श्री तिलक राज
प्रो. पी. शशिकला
डॉ. मुकेश कुमार मिश्रा
श्री लाजपत आहूजा

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

डॉ. सुनीता रेड्डी
+91 98188 58383

सुश्री अनुकृति बाजपेयी
+91 97179 08289

श्री श्रीकांत कुमार
+91 88022 99664

ईमेल: prelokmanthanbhopal@gmail.com